

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

8/2 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट...  
पीठारहीन अधिकारी महोदय आज 27.5.20 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 27.5.20 को पेश हो।

27.5.20 DUE TO LOCKDOWN FILE PUT ON DATE AT 29.7.20  
READER

29-7-20 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 7.10.20 को पेश हो।

7.10.20 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 9.12.20 को पेश हो।

9-12-21 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 10-2-21 को पेश हो।

10-2-21 पत्रावली पेश। वकील अपील/रेस्पोंडेंट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील/रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/रेस्पोंडेंटस अपनो अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। कायदरूप अपील/रेस्पोंडेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय से इतना ही सुनना था। पत्रावली फैसल शुगर होकर नम्बर से कम होकर बाद तत्काल तत्काल दायित्व दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्डुनू)

